

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड भोपाल.

क्र./बोर्ड/यो./गै.तक./66/16-17/100 भोपाल, दिनांक 11/05/2017
प्रति,


अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय-भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर,
जबलपुर, रीवा.(म.प्र.)

विषय:- मुख्यमंत्री कृषि उपज मण्डी हम्माल एवं तुलावटी वृद्धावस्था सहायता योजना 2015 एवं मुख्यमंत्री मण्डी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना 2008 (संशोधित वर्ष 2014) के संबंध में।

00000

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों हेतु संचालित मुख्यमंत्री कृषि उपज मण्डी हम्माल एवं तुलावटी वृद्धावस्था सहायता योजना 2015 एवं मुख्यमंत्री मण्डी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना 2008 (संशोधित वर्ष 2014) के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु अपने संभाग के मण्डी सचिवों को निर्देशित करें कि वह मण्डी कार्यालय में हम्माल एवं तुलावटियों की बैठक आयोजित कर योजनाओं की जानकारी दें तथा योजनाओं की प्रतियां भी उपलब्ध करायें। साथ ही उक्त योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जावे।

उक्त योजनाओं अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण किया जाकर संबंधित हितग्राहियों को सहायताओं का लाभ प्रदान किया जावे।


अपर संचालक(योजना)

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल.